

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
राज्य प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

--कार्यालय प्राम--

अधिन सारणीय लखनऊ शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय लखनऊ शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्या संख्या/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अग्र्य प्राथमिक शिक्षा परिषद राज्य लखनऊ की संस्था में परिषद कार्यालय में बैठक लगने हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आयोजित की संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से अर्जित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समतल बुद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-1 में डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं को अर्जित करने वाली कई संस्था का प्रकाश करा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय किया गया --

ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।

अतः निम्नानुसार संशोधित संस्था को परिषद की निम्नलिखित समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अर्जित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है --

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	8894	हेतु प्रकाश कॉलेज डॉ. फार्मसी, लखनऊ, म०	डिप्लोमा इन फार्मसी	आ	आ

सम्बद्ध हेतु शर्तें

- संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- संस्था द्वारा प्रेषित प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनों 1987 तथा अन्य निर्मित विमर्श एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कुल निरंतरण व्ययों तथा निर्धारित कुल तीन वार्षिक इकाई का प्रत्येक हेतु ₹50,00,000/- अर्थात् दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹50,00,000/- प्रत्येक पर एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों को वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम में अर्जित हेतु ₹50,00,000 प्रत्येक हेतु प्रवेश पर,/सत्र के प्रारंभ किए जाएंगे। संस्था के अधिकांश व्यय/सत्रों से कुल के अन्तर्गत में सत्र-सत्र पर सत्रों द्वारा निर्मित किए जाये जाने का अनुमोदन प्रेषित करें, और संपूर्णतः सार्वजनिक शिक्षा अन्तः-संस्था का सत्रों द्वारा निर्मित किए जाये जाने का अनुमोदन प्रेषित करें, और संपूर्णतः सार्वजनिक शिक्षा अन्तः-संस्था का सत्रों द्वारा निर्मित किए जाये जाने का अनुमोदन प्रेषित करें।

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
काठर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

- कार्यालय आप-:

उत्तम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय वायुसेवा जीव इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैलिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में डिप्लोमा इन भारतीय वायुसेवा संबन्धित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श का निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन भारतीय वायुसेवा संबन्धित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरीबोर्डों द्वारा नई संस्थाएं अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरीबोर्डों द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बन्ध अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरीबोर्डों द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को प्रारूप सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में किम् संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित सत्रों के अंतिम पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. संख्या संकेत	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरीबोर्डों द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठरीबोर्डों /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4804	इन्फ्र स्ट्रोक एडवेंस जीव भारतीय, इन्फ्रस्ट्रोक, मद्रास।	डिप्लोमा इन भारतीय	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एग्जाईक्यूटिवीबोर्ड/पीठरीबोर्डों द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था काठर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, संशोधन विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं कार्यवाही का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इक्वीव पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,00,00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक भारतीय वायुसेवा हेतु ₹ 48,000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र की वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक भारतीय वायुसेवा के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500,00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से जमा किया जाएगा। समस्तों के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समग्र-समग्र पर साक्ष्य प्राप्त किये जाने वाले सातसौदश छात्रों को, और सहस्रांशक कार्यवाही किया

(Handwritten Signature)

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4864-INDU PRAKASH COLLEGE OF PHARMACY, HALDHARPUR, MAU			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर